State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 5706 / SEIAA/15
Date: 22.9.15

संशोधित कार्यालयीन ज्ञापन (Amended Office Memorandum)

इस कार्यालय के पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 4253/SEIAA/2015 दिनांक 03.08.2015 के **खण्ड–अ** जो कि खनन गतिविधियों 1(a) से संबधित है के **उपखण्ड "क" की कंण्डिका 3 एवं 4 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाये:–**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान (अनुमोदन पत्र के साथ) जिसमें पर्यावरण प्रबंध योजना (EMP) भी सम्मलित हो।

उपखण्ड "क" की कण्डिका 5 (i) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाये :–

1. यदि खनिपट्टे से 5 कि.मी. की दूरी में अधिसूचित नेशनल पार्क/अभ्यारण स्थित है तो उक्त आदेश में उनकी दूरी स्पष्ट करेगे। और यदि ऐसा कोई क्षेत्र 5 कि.मी. की दूरी में नहीं है तो भी इस तथ्य को अपने आदेश में स्पष्ट किया जाये। यह जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के वर्गीकरण के संदर्भ में आवश्यक है क्योंकि 5 कि.मी. से कम दूरी होने पर पर्यावरण स्वीकृति के ऐसे प्रकरण "ए" कैटेगरी के हो जाते है और उनकी पर्यावरण स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार है।
2. उपरोक्त जानकारी के साथ–साथ खनिपट्टे से 10 कि.मी. की दूरी में यदि अधिसूचित नेशनल पार्क/अभ्यारण स्थित है तो उक्त आदेश में यह दूरी भी स्पष्ट की जाये क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्र J-11013/41/2006-1-A.II (I) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार जब तक अधिसूचित नेशनल पार्क/अभ्यारण का ईको सेंसेटिव जोन अधिसूचित नहीं होता है तब तक ऐसे नेशनल पार्क/अभ्यारण की सीमा से 10 कि.मी. तक के क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति के लिये नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश अनुसार परियोजना प्रस्तावक (Project Proponent) नेशनल वाइल्ड लाईफ बोर्ड में ऑनलाईन आवेदन कर उसकी प्रति लगाते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये MP-SEIAA को Form-1 के साथ संलग्न करेगें।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव, MP SEIAA

पृ. क्र. 5707 /MPSEIAA/2015

भोपाल, दिनांक 22.9.15

1. अध्यक्ष/सदस्य MP SEIAA भोपाल
2. सभी अधिकारी MP SEIAA एवं SEAC भोपाल
3. सभी संबंधित
4. गार्ड फाईल
5. MP SEIAA वेबसाईट

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव, MP SEIAA